



GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Transport Department SAHARANPUR RTO

FORM 23

CERTIFICATE OF REGISTRATION



Registration No : UP11AX7488 Registration Date : 29-Dec-2015
 Description of Vehicle : MOTOR CAR Purpose For Printing RC : TO
 Dealer's Name & Address : OTHERS, NA, . . . 0-0
 Owner Name : GULAFSHA Son/wife/daughter of : MURSALEEN
 Full Address: (Permanent) : H NO 2091, GUJJARWARA, DEOBAND, SAHARANPUR, UTTAR PRADESH-247554
 Full Address: (Temporary) : H NO 2091, GUJJARWARA, DEOBAND, SAHARANPUR-UTTAR PRADESH-247554
 Fitness Up To : 28-Dec-2030 Owner Serial No : 3
 Detailed Description
 Class of Vehicle : MOTOR CAR Link Vehicle No :
 Ownership : INDIVIDUAL Norms : BHARAT STAGE IV
 Maker's Name : GENERAL MOTORS INDIA PVT LTD
 Front HSRP No : Rear HSRP No :
 Type of Body : SALOON Month/Year of Manuf. : 11/2015
 No of Cylinders : 3 Chassis No : MA6BFBHNF014283
 Engine No : 10FCDZ152310053 Fuel : DIESEL
 Horse Power(BHP) : 936.00 Cubic Capacity : 936.00
 Maker's Classification : BEAT TCDI Wheel base : 2230
 Seating Cap(in all) : 5 Standing Cap : 0
 Sleeper Cap : Unladen Wt (kgs) : 1027
 Colour : S WHITE Laden/GV Wt (kgs) : 1417
 Other Criteria : AC Fitted : YES
 Vehicle Purchase As : Fully Built

Additional Particulars of all transport vehicles other than motor cabs (Gross Vehicle Weight)

By Manuf.	Description	As Regd.	Weight(in kgs)
a) Front:			
b) Rear:			
c) Other			
d) Tandem:			

The motor vehicle above described is subject to Hypothecation in favour of w.e.f. .

Purchase dt : 30-Nov-2015 Sale Amt : 420538/-
 OTI Date : 30-Nov-2015 Amount/Rcpt No : 33644 / BV119933
 Vehicle is Govt./ Pvt. : PRIVATE Tax Exempted or Not : NOT EXEMPTED
 Date of Approval : 26-Sep-2023

Other State/Transfer/Conversion Details

Previous Owner : MOHD NADEEM Previous RegNo :
 Old State : Entry Date :
 Transfer Date : 26-Sep-2023 Conversion Date :

This certificate is valid from 29-Dec-2015 to 28-Dec-2030

Date : 26-Sep-2023 15:03:49

axation Particulars / Advance Registration Mark Fee Details

Signature of Registering Authority
 कार/पंजीकृत
 मोटर वाहन विभाग
 26-Sep-2023

P 4629057

Government of Uttar Pradesh Government of Uttar Pradesh
Government of Uttar Pradesh Government of Uttar Pradesh

Self-attested
 Gulafsha
 22/04/24

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

अपील

देश के सामाजिक आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के साथ-साथ वाहनों की संख्या में भी अत्यधिक तेजी से वृद्धि होती आ रही है परन्तु सड़कों की संख्या एवं उनकी लम्बाई/ चौड़ाई तथा गुणवत्ता आदि में एक सीमा तक सुधार हुआ है, जिससे सड़क परिवहनों की गति में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि/वाहनों की संख्या में वृद्धि आदि के कारण से लोगों की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। हम सब अवगत है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना वर्तमान में हमारे लिये चुनौती बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में प्रदेश में लगभग 37729 दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 21227 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 24897 व्यक्ति घायल हो गए। इसी प्रकार अगस्त 2022 तक प्रदेश में लगभग 27871 दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 15213 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 19103 व्यक्ति घायल हुए।

मोटर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किये जाने और प्रभावी चेंकिंग की कार्यवाही करने के साथ-साथ जनता का भी इसमें सहयोग आवश्यक है। हमें यातायात के नियमों को अपने जीवन का अंग बनाना है। यातायात के नियमों के पालन के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो जाने से सड़क दुर्घटनाओं पर एक प्रभावी अंकुश लग सकता है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि तीन चौथाई से अधिक दुर्घटना मानवीय भूल के कारण होती है। इस प्रकार यातायात नियमों का पालन कर हम दुर्घटनाओं पर एक सीमा तक नियंत्रण लगाने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं।

अब आप सबसे विभाग की अपील है कि—

अवश्य करें	कभी न करें
1. दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें।	1. ड्राइविंग लाइसेंस तथा गाड़ी के अन्य प्रपत्र के बिना गाड़ी न चलाएं।
2. कार चलाते समय सीट-बेल्ट अवश्य लगाएं।	2. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
3. चौराहे पर लाईट रेड होने पर आगे न बढ़ें।	3. गलत ढंग से वाहन ओवरटेक न करें।
4. वाहन चलाते समय पैदल चलने वालों तथा सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं का ध्यान रखें।	4. खतरनाक ढंग/गति से गाड़ी न चलाएं।
5. सड़क संकेतों/चिन्हों का हमेशा पालन करें।	5. शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।

1. परिवहन विभाग का पोर्टल (www.uptransport.upsdc.gov.in)
2. परिवहन विभाग की हेल्पलाइन का टोल-फ्री नम्बर 1800-1800-151

परिवहन विभाग द्वारा जनहित में जारी

